न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सार्किल कोर्ट रीवा जिला रीवा म0प्र0 निगरानी 4204-III-14

9

826
26.11.14

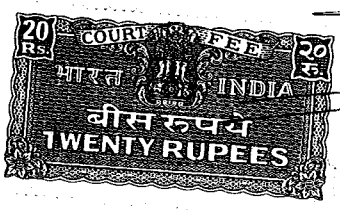

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs. 20/-

बृजमोहन प्रसाद तनय श्री अम्बिका प्रसाद मिश्रा उम्र 65 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम डगरदुआ तह0 मनगवां जिला रीवा म0प्र0 ---- आवेदक

ब्नाम

लालजी मिश्रा तनय महावीर प्रसाद मिश्रा उम्र 56 वर्ष पेशा नौकरी निवासी ग्राम डगरदुआ तह0 मनगवां जिला रीवा म0प्र0 -- अनावेदक

निगरानी विरूद्व आदेश अनुविभागीय अधिकारी मनगवां जिला रीवा म0प्र0 अपील प्रकरण क्रमांक 177/अ-74/13-14 आदेश दिनांक 16-09-14

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0 1959 ई0

श्री सूर्यनाथ पाण्डेय एड द्वारा आज दिनांक 26.11.14 को प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 3883 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ........ को प्राप्त 6.12.14 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :-

1- यह कि अनावेदक के द्वारा नायब तहसील तह0 गंगेव के यहा राजस्व प्रकरण क0 53/अ74/96-97 आदेश दिनांक 25-09-99 के कियान्वयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था कि कोई प्रकरण नहीं है जब कि 01-10-02 को आवेदक के चचेरे भाई अशोक कुमार उपस्थित होकर अपर आयुक्त महोदय, रीवा सम्भाग रीवा के प्र0क0 1046 /अपील /06-07 प्रकरण कमांक 1047 /अपील /06-07 में पारित आदेश दिनांक 25-09-12 के स्थगन की प्रति प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 31-10-12 को आदेश पारित किया जिसके विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी मनगवां की न्यायालय में अपील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई और अपीलार्थी की अपील को दिनांक 16-09-14 को अनुविभागीय

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0–4204–तीन / 14 जिला–रीवा

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश<br>बृजमोहन / लालजी | |
|---|---|---|
| 5-11-2015 | प्रकरण में आवेदक अभि0 श्री सूर्यनारायण पाण्डेय उपस्थित । उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया ।<br>यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक–177 / अ–74 / 2013–2014 में पारित आदेश दिनांक–16.09.14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है ।<br>आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से वही तर्क प्रस्तुत किए गये, जो निगरानी मेमो में अंकित है । जिन्हें यहां पुनरांकित न किया जाकर उन पर विचार किया जा रहा है। आवेदक द्वारा निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया है ।<br>आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के संदर्भ में मेरे द्वारा प्रश्नाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया, एवं प्रकरण में अंकित तथ्यों के संबंध में बारीकी से विचार किया गया।<br>अनुविभागीय अधिकारी ने अपने उक्त प्रकरण में पारित आदेश में मात्र यह अंकित किया गया था, कि विचारण न्यायालय का स्थगन आदेश मूल आदेश नहीं है, अपील मूल आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की जा सकती है । उनके समक्ष के नायब तहसीलदार के आक्षेपित आदेश दिनांक 31–10–12 को मूल आदेश नहीं मानने का कारण उन्होंने (अनुविभागीय अधिकारी ने) विषंयाकिंत नायब तहसीलदार के आदेश का पूर्व में पारित आदेश के कियान्वयन का आदेश होना लिखा है, एवं इसी आधार पर (मूल आदेश ना होकर मूल आदेश का | 1 |

ब्रजमोहन/लालजी

R-4204/पीबीआर/15 सीधी

क्रियान्वयन आदेश होने के आधार पर) उन्होंने (अनुविभागीय अधिकारी ने) ऐसे (क्रियान्वयन) आदेश के विरूद्ध अपील अस्वीकार की है ।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रकरण में ग्राहयता का पर्याप्त आधार न होने से अग्राहय किया जाता है । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दा.रि. हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)

सदस्य